राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या (1–3) 1347, 1348 व 1349/2017..... जिला .....सिरोही.....

उनवान : मैसर्स किंग्स फूड, माउंड आबू (सिरोही) बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/11/2017	खण्डपीठ श्री नत्थूराम, सदस्य श्री के. एल. जैन, सदस्य अपीलार्थी द्वारा ये तीन अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील/स्थगन संख्या क्रमशः 37, 38 व 39/SOH में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक– पृथक आदेश दिनांक 20.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा आलौच्य अवधियों के लिये सृजित मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना–पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है तथा शेष राशि को वसूलनीय अवधारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया वसूली योग्य राशि के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विभागीय दल द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 23.06.2016 को किया जाने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा होनेस्ट कम्पनी, अहमदाबाद के 'लोगो' का इस्तेमाल करते हुए व्यवसाय किया जाता है एवं उस 'लोगो' की एवज में होनेस्ट कम्पनी को कुल विक्रय राशि की 5.5 प्रतिशत राशि रॉयल्टी के रूप में अदा की जाती है। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक ब्राण्ड नेम के अन्तर्गत 'कुक्ड फूड' का विक्रय किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की अनुसूची–V की प्रविष्ठि यथा "Vat on cooked food like pizza, burger, fried chicken, french, fries, sandwich, hot dog, noodels, potato chips, bakery items & **any other cooked food** item served or sold including home delivery there of under a brand name by any branded chain outlet of cooked food (S.No.16(V) Sch.-V) दिनांक 09.03.2015 से कर दर @14.5% से निर्धारित'', के आधार पर 14.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य अवधारित करते हुए तद्नुसार अन्तर कर, ब्याज व करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण निम्न तालिका अनुसार पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.03.2017 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....(1–3) 1347, 1348 व 1349/2017..... जिला .....सिरोही.....

उनवान : मैसर्स किंग्स फूड, माउंड आबू (सिरोही) बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

24/11/2017

उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी, साथ ही वसूली योग्य राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु धारा 38(4) के तहत प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किये गये, जो अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से आंशिक रूप से स्वीकार किये गये। अतः अपीलार्थी व्यवहारी ने इन अपीलों के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों के जरिये प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

अपील संख्या	क.नि.वर्ष	आरोपित			अपी.अधि.द्वारा स्वीकृत स्थगन	चाहा गया स्थगन
		कर	ब्याज	शास्ति		
1	2	3	4	5	6	7
1347/17	2014–15	49,858	16,392	99,716	35,000	1,25,966
1348/17	2015–16	11,97,478	2,49,994	23,94,956	11,10,000	27,32,428
1349/17	2016–17	3,73,932	33,193	7,47,864	3,25,000	7,89,989

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री ओ. पी. माहेश्वरी तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री डी. पी. ओझा की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा होनेस्ट कम्पनी के सिर्फ ''लोगो'' का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि व्यवसाय उनके द्वारा ही किया जाता है। ''लोगो'' के इस्तेमाल के लिये पृथक से इकरारनामा किया गया है, जिसके अनुसार 5.5 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी अदा की जाती है। केवल 'लोगो' के इस्तेमाल के आधार पर अपीलार्थी के व्यवसाय को ब्राण्डेड मानते हुए तद्नुसार मांग सृजित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। व्यवहारी द्वारा पिज्जा, बर्गर, फ्राईड चिकन आदि के अलावा दाल–रोटी की भी बिक्री की जाती है, जिस पर भी 14.5 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए मांग सृजित किया जाना त्रुटिपूर्ण है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अग्रिम कथन किया कि नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके उत्पाद को 5/5.5 प्रतिशत की दर योग्य स्वीकार करते हुए उनका कर निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में करापवंचन वृत के अधिकारी द्वारा 14.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि उनके समस्त संव्यवहारों का इंद्राज लेखा–पुस्तकों में किया हुआ है ऐसी स्थिति में धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना भी प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने भी आंशिक राशि का स्थगन स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने प्रकरणों में शेष बकाया मांग की वसूली को स्थगित किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....(1–3) 1347, 1348 व 1349/2017..... जिला .....सिरोही.....

उनवान : मैसर्स किंग्स फूड, माउंड आबू (सिरोही) बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/11/2017	प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा एक ब्राण्डेड चैन के तहत कुक्ड फूड का विक्रय किया जाता है, जिस पर 14.5 प्रतिशत की दर से कर देयता बनती है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा अहमदाबाद की होनेस्ट कम्पनी को रॉयल्टी अदा की जाती है जिससे यह प्रमाणित है कि व्यवहारी द्वारा ब्राण्ड नेम से माल का विक्रय किया जाता है, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 14.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक राशि का स्थगन स्वीकार करते हुए व्यवहारी को पर्याप्त राहत प्रदान कर दी गयी है, शेष राशि के लिये सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में नहीं होने से व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किया गया। अपीलीय अधिकारी ने शास्ति राशि की सीमा तक जो स्थगन जारी किया है वह भी आधी राशि तक ही किया गया है जो अनुचित है क्योंकि शास्ति के आरोपण में विधिक बिन्दु निहित होना मानकर जब स्थगन जारी किया गया है तो पूर्ण शास्ति राशि पर स्थगन देना विधिक है, अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की पूर्ण राशि पर स्थगन प्रार्थना–पत्र इस शर्त पर स्वीकार किये जाते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार तीनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	